बिहार विधान-सभा (वादवृत्त)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में **सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989** को पूर्वाह्न 10.58 बजे अध्यक्ष, **श्री शिवनंदन पासवान** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
दिनांक : 30 जनवरी 1989

विश्वनाथ त्रिवेदी
सचिव
बिहार विधान-सभा

श्री मो. मुश्ताक : अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्व. कर्पूरी जी 1952 से लेकर मरने के दिन तक विधान सभा के सदस्य थे । विरोधी दल के पद से उन्हें हटाया गया । उनके साथ बेइंसाफी हुई है ।

अध्यक्ष : यह बात समाप्त हो गयी । आप कृपया बैठ जायें। अब शून्यकाल होगा ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिया जायेगा ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कार्य-स्थगन प्रस्ताव का क्या किये ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, श्री अजीत सरकार, श्री नलिनी रंजन सिंह, श्री रमई राम, श्री विनायक प्रसाद यादव, श्री रमेन्द्र कुमार, श्री मुंशीलाल राय तथा श्री वशिष्ठ नारायण सिंह ने कार्य-स्थगन की सूचना दी है । नियमानुसार इसे आज अमान्य करता हूँ ।

(शोरगुल)

शून्यकाल की चर्चाएँ

(क) सोन नहरी क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करना

श्री रघुपति गोप : अध्यक्ष महोदय, खरीफ मौसम में रेहंड जलाशय से सोन नहरों में पानी नहीं निकलने के कारण भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद जिले में धान की फसल मारी गयी । पटनी के अभाव में रब्बी की फसल भी सूख रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सोन नहरी क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करे ।